दिनांक- 06.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 502/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 06.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 06.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 503/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराह का0 राहुल अग्निहोत्री व रि0का0 शिवम यादव द्वारा गश्त एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रीतेश राजपूत पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा को नहर कोठी पुलिया, अजनर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 राधेश्याम सिंह
2. का0 राहुल अग्निहोत्री
3. रि0का0 शिवम यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

रीतेश राजपूत पुत्र स्व0 जयपाल राजपूत, उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण-

1. मु0अ0सं0 139/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा
2. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 305ए/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 06.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 504/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, जनपद महोबा द्वारा निर्गत वारंट के अनुपालन में अभियुक्त शोभाराम पुत्र जगदीश राजपूत, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मु0सं0 66/2014, अ0सं0 1093/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित होने के कारण गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश प्रसाद पटेल

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त-

शोभाराम पुत्र जगदीश राजपूत, उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

दिनांक- 06.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 505/26

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस/प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के दिए गए निर्देश।

आज दिनांक 06.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं उपजिलाधिकारी सदर महोबा श्री शिवध्यान पांडेय द्वारा आगामी ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा मेला परिसर का विस्तृत भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं आमजन की सुविधाओं का सूक्ष्मता से जायजा लिया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।

- **सुरक्षा व्यवस्था:** मेला परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए।
- **यातायात प्रबंधन:** मेला क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु दुकानों के बीच मार्गों को पर्याप्त चौड़ा रखने तथा मेला परिसर के अंदर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वैकल्पिक पार्किंग स्थलों एवं रूट डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
- **मेला प्रबंधन समिति के साथ समन्वय:** अधिकारियों द्वारा मेला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा समुचित समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
- **भीड़ नियंत्रण एवं जनसुविधा:** आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन के प्रभावी उपाय लागू करने, अनावश्यक भीड़भाड़ को नियंत्रित करने तथा ट्रैफिक जाम से बचाव हेतु विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि मेला के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से पूर्ण किया जाए, जिससे जनपद महोबा का यह ऐतिहासिक कजली मेला सकुशल एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।